UPGK010056772026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), गोरखपुर।
पीठासीन अधिकारी-श्री चन्द्रभान सिंह, (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP06180
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2525/2026

1. राधे उम्र 49 वर्ष पुत्र राम सुभग
2. विट्टू उम्र 26 वर्ष वर्ष पुत्र विरेन्द्र
3. शिवनाथ उर्फ दरोगा उम्र 21 वर्ष पुत्र सुरेन्द्र
4. सोनू उम्र 25 वर्ष पुत्र राजदेव
5. आकाश उम्र 20 वर्ष पुत्र गनेश
6. गनेश उम्र 42 वर्ष पुत्र दूधनाथ
7. अक्षय कुमार उम्र 30 वर्ष पुत्र रामजीत

निवासीगण- दुधई थाना चौरी चौरा, जिला-गोरखपुर।

.....**आवेदकगण/अभियुक्तगण**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**विपक्षी**

मु०अ०सं०- 255/2025
धारा-191(2),115(2),352 बी0एन0एस0 व
धारा-3(1)द, 3(1)ध,3 (2)va एस.सी./एस.टी.एक्ट
थाना-चौरी चौरा, जनपद-गोरखपुर।

दिनांक- 11.08.2026

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण राधे, विट्टू, शिवनाथ उर्फ दरोगा, सोनू, आकाश, गनेश व अक्षय कुमार द्वारा जमानत हेतु उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। समर्थन में जमानत प्रार्थना पत्र के साथ पैरोकार राजदेव का शपथपत्र संलग्न किया कर कथन किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में न तो लम्बित है और न ही निरस्त हुआ है।

2. अधिनियम की धारा-15(ए)(5) एस0सी0/एस0टी0एक्ट के अनुपालन में वादी मुकदमा/पीड़ित पक्ष पर नोटिस का तामीला प्राप्त है, परन्तु उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

3. अभियोजन का कथानक सक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी मुकदमा दीनानाथ के द्वारा थाने पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि उसके ग्राम सभा में लालजी पुत्र दुधनाथ के घर पर शादी थी। उसके परिवार के लोगो को भी निमंत्रण दिये थे। वे लोग भी न्यौता देने के लिए दिनांक 09.05.2025 को गये थे। वे लोग भी जहाँ भोजन का स्टाल लगा था, वहाँ भोजन लेने के लिए पत्तल लेकर चले गये। इसी पर सोनू, भीम, रामचन्द्र उसे व उसके परिवार के लोगो को रोकते हुए कहे कि साले चमार की जाति मुझे कैसे भोजन छुओगे। जब उसने गाली गुप्ता देने से मना किया तो उसे व उसके परवार के लोगो को धक्का मुक्का करते हुए वहाँ से खदेड़ दिये और वे लोग वहाँ अपने घर चले गये। वे लोग समय लगभग रात 11.20 बजे घर पहुचे जैसे ही 10 मिनट हुआ कि सोनू पुत्र राजदेव, बिट्टू पुत्र विरेन्द्र, अक्षय पुत्र रामजीत, बितन पुत्र राधे, गनेश पुत्र दुधनाथ, आकाश पुत्र गनेश, दरोगा पुत्र सुरेन्द्र, राधे पुत्र सुभग, रामचन्द्र व भीम पुत्रगण लालजी, विसम्भर पुत्र रामदवन अपने हाथ में लाठी-डण्डा व चाकू लेकर गाली गुप्ता देते हुए उसके दरवाजे पर आ गये। वह जब गाली गुप्ता देने से मना किया तो उक्त सोनू आदि उग्र होकर कहे कि पकड़ लो चमार की जाति सालों को मार डालो कोई बचने न पाये। वह व उसके परिवार के लोग डरकर भागे तो उक्त सोनू आदि सभी लोग घर में घुसकर लाठी- डण्डा व चाकू से बुरी तरह मारे मीटे। सोनू आदि के मारने से उसको व

उसके परिवार के रामू, माया, बसुन्धरा, सजना, गीरजानन्दन, दीपक को काफी गम्भीर चोटे आयी। अतः कानूनी कार्यवाई किये जाने की याचना की गयी।

4. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र/शपथपत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि यह कि अभियोजन द्वारा किये गये कथन बिल्कुल गलत एवं असत्य है। आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध नही किया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में कोई अपराध गठित नहीं होता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में न तो लम्बित है और न ही निरस्त हुआ है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, आवेदकगण/अभियुक्तगण को यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत का दुरूपयोग करेगे। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

6. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तागण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में गोलबन्द तरीके से बलवा कारित करते हुए वादी मुकदमा व उसके परिवार को लोगों को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली गुप्ता देते हुए मारपीट कर उपहति कारित करने का अभियोग लगाया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है तथा वह न्यायालय में आत्मसमर्पण कर अभिरक्षा में है, जिसके दुरूपयोग के संबंध में कोई तथ्य अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 17.02.2026 को संज्ञान लिया जा चुका है। अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सत्येन्द्र कुमार अंतिल प्रति केन्द्रीय ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन व अन्य (2021) 10 एस.सी.सी. 773** तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Application u/s 528 BNSS No. 6400 of 2025 Smt. Bacchi Devi vs. State of U.P. and other [Netural Citation No. 2025: AHC:136034]** में दिये गये दिशा निर्देशों के आधार पर तथा उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण राधे, विट्टू, शिवनाथ उर्फ दरोगा, सोनू, आकाश, गनेश व अक्षय कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक अभियुक्तगण द्वारा मु0 50,000/- रूपये का निजी बंधपत्र व संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि की दो प्रतिभूं तथा इस आशय का अंडरटेकिंग कि वह भविष्य में प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या जरिये अधिवक्ता उपस्थित होते रहेगे, विचारण में सहयोग करेगे एवं गवाह के आने पर कोई स्थगन नहीं लेगे, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(चन्द्र भान सिंह)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट),
गोरखपुर।

I.D.No. : UP6180

Digitally signed by CHANDRA BHAN SINGH
Date: 2026.08.11 16:09:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court